

तारीख
हुक्म

अगवानसहाम बनाम प्रहलाद बगै

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

T.I.

14/12/2019

28/10/2019

पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष 390 वकील उभयपक्ष
द्वारा प्रा. प्र. अस्थायी निषेधाज्ञा पर की गयी बहस
पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया।
मूलवाद दावा उद्घोषणा इन्फ्रान्ज टुसन्ती एवं
स्थायी निषेधाज्ञा का है। निरस्त पर्याप्त साक्ष्य,
सबूतों के आधार पर विधिवत उभयपक्षों को सुना जाकर
निरस्तारण किया जाना है। अप्रावीण्य वादग्रस्त भूमि
के सहस्रतिदार हैं प्रकरण में वादग्रस्त भूमि पर
अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी होने से अप्रावीण्य
का वादग्रस्त भूमि के उपयोग-उपभोग व कब्जा आदि
लेने में असुविधा उत्पन्न होगी। साथ ही खेतदार सहस्र
के विरुद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा
सकती। अतः प्रकरण में अंतिम विवादांतर आराजी
बुल्लन बंग बंग अप्रावीण्य के विरुद्ध अस्थायी
निषेधाज्ञा जारी करना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः
वकील उभयपक्ष बहस पर मनन करने एवं पत्रावली
के अवलोकन के आधार पर प्रार्थना प्रार्थना तथा अस्थायी
निषेधाज्ञा वाधनीय नहीं होने से खारिज किया जाता है।
पत्रावली फुलन शुमार होकर बाद हामील ह्याफिता।
मूलवाद रहे।

28/10/19
जज अदालत
जोदीकई (दोसा)

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स